APP Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालम SDO कलेक्टर बसवा मुकाम बसवा

केशी देवी बनाम राज. सरकार जरिये TDR

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 128 LR Act न. सन 23/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14.07.2023 एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 रा.ले.रेएक्ट के तहत श्रीमती केशी देवी पत्नी मोतीलाल मीना निवासी कौलाना तह.बसवा द्वारा जरिये एडवोकेट श्री धमेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्री घनश्यामक` द्वारा विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा के इस आशय का पेश किया है कि ग्राम फूलेला तह. बसवा के खाता संख्या 27 के खसरा नंबर 1055, 1056, 1057 1058 एवं 1059 कुल किता 5 कुल रकबा 2.26 हैक्टयर भूमि प्रार्थिया की तनहा खातेदारी भूमि हैं प्रार्थिया की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थिया की भूमि को दबाने की कोशिश करते रहते हैं । अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पटवारी हलका के द्वारा दिनांक 13.6.2023 को भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान किया जा चुका है । अतः सीमा का सथाई समाधान के लिये भूमि की पत्थरगढी एवं तारवंदी कराने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित किया जावे । उपरोक्त प्रकरण का अवलोकन किया, प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एवं ए. डी. नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 21.07.2023 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
21/7/23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार बसवा की तलबी बाद तामील प्राप्त हो चुकी है। अतः TDR को स्मरण पत्र जारी होकर जवाब मंगवाया जावे। पत्रावली आ.ता. 27-7-2023 को पेश हो उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा)	
27/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जरिये तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना मे दिनांक 3/8/23 (3/8/23) को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
3/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जरिये तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना मे दिनांक 14/8/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	

न्यायालय उपखंड अधिकारी बसवा (दौसा)
प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 LR ACT प्र०सं:- 23/2023
उनवान:- केशी देवी बनाम राज०सरकार

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वास्ते इंतजार TDR रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 24/8/23 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा)	
24/8/23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वांछित रिपोर्ट TDR में आ. तारीख 5-9-23 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा)	
5.9.23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन / P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने से अगली तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना मे दिनाक 18.9.23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
18/9/23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वांछित रिपोर्ट TDR में आ० ता० पे० 27.9.23 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा)	
27/9/23	पत्रावली पेश हुई। इंतजार TDR रिपोर्ट में 07-10-23 को पेश हो पत्रावली 9-10-23 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा)	
9/10/23	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रा. पत्र 128 पत्रावली स्वीकार किया जाता, पत्रावली के बकाया से नाम होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 23/2023
प्रकरण रज्जु दिनांक 17.7..2023
निर्णय दिनांक 9.10.2023

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

केशी देवी पत्नी मोतीलाल मीना निवासी कौलाना तहसील बसवा जिला–दौसा
(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बसवा तह.बसवा

(अप्राथी)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 9.10.2023

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से एडवाकेट श्री धमेन्द्र कुमार शर्मा, मनोज मिश्रा एवं श्री घनश्याम मीना

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम फुलेला तहसील बसवा स्थित खाता संख्या नया 27 पुराना 21 के खसरा नंबर 1055 रकबा 0.93 हैक्टयर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नंबर 1057 रकबा 0.06 हैक्टयर, 1058 रकबा 0.56 हैक्टयर, 1059 रकबा 0.59 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा रकबा 2.26 हैक्टयर भूमि है जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है । भूमि वर्णित में प्रार्थिया के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिसको प्रार्थिया अर्से जमाने से काश्त कर मुफिद होती चली आ रही है । भूमि मुतदाविया के पडोसी काश्तकारान जो कि प्रार्थिया की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थिया की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो कि आए दिन खेतों के मध्य बनी हुई डोल मेड को तोडते रहते हैं जिससे आए दिन झगडा फसाद होते रहते हैं । आए दिन आदमी मरने की सूरत पैदा हो जाती है । दिनांक 13.6.2023 को हलका पटवारी के द्वारा भूमि खसरा नंबर 1055, 1056, 1057, 1058 एवं 1059 कुल किता 5 वाके ग्राम फूलेला तहसील बसवा के मौके पर पहुँचे, उक्त खसरा नंबरान का राजस्व नक्शे से मिलान किया गया व आराजी खसरा नंबर 1054 गै.मु.चाह, 957, 958 व 965 के मध्य स्थित तिगेडे व 1006, 986, 970 व 971 के मध्य स्थित चौमेडे को मुस्तकिल बिन्दु मानकर उक्त खसरा नंबरान का सीमाज्ञान करवा लिया था, यह है कि प्रार्थी पडोसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.6.2023 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थाई समाधान चाहते हैं ताकि आए दिन होने वाले झगडों से मुक्ति मिल सके । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या नया 27 पुराना 21 के खसरा नंबर 1055 रकबा 0.93 हैक्टयर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नंबर 1057 रकबा 0.06 हैक्टयर, 1058 रकबा 0.56 हैक्टयर, 1059 रकबा 0.59 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा रकबा 2.26 हैक्टयर भूमि ग्राम फूलेला तह.बसवा जिला–दौसा की मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 13.6.2023 के अनुसार

उप जिला कलेक्टर
बसवा (दौसा)

निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी किये जाने के लिये अप्रार्थी संख्या को आदेशित फरमाया जावे एवं मय पुलिस इमदाद सहायता के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये ।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार एवं तहसीलदार बसवा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि विषयान्तर्गत निवेदन है कि आराजी खसरा नंबर 1055 से 1059 किता 5 रकबा 2.26 हैक्टयर वाके ग्राम फूलेला में दर्ज राजस्व रिकोर्ड है जो कि केशी देवी पत्नी मोती लाल जाति मीना सा.देह कौलाना खातेदार के नाम दर्ज है । उक्त खसरा नंबरों का दिनांक 13.6.2023 को सीमाज्ञान किया जा चुका है । उक्त खसरा नंबरों 1055 से 1059 किता 5 में सीमाविवाद होने के कारण प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 13.6.2023 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है । अतः उक्त खसरा नंबरों में पत्थरगढी के आदेश किया जाना उचित है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संख्या भूमि खाता संख्या नया 27 पुराना 21 के खसरा नंबर 1055 रकबा 0.93 हैक्टयर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नंबर 1057 रकबा 0.06 हैक्टयर, 1058 रकबा 0.56 हैक्टयर, 1059 रकबा 0.59 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा रकबा 2.26 हैक्टयर भूमि ग्राम फूलेला तह.बसवा जिला–दौसा का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण द्वारा उनके दावें के समर्थन में दिनांक 13.6.2023 को किये गये सीमाज्ञान का मौका पर्चा की सत्यापित प्रति भी पेश की है । मुताबिक दिनांक 13.6.2023 के मौका पर्चा अनुसार अंकन किया गया है कि "श्रीमान् तहसीलदार साहब बसवा के आदेश कमांक /भू.अ./2023/2218 दिनांक 9.6.2023 की पालना में आज दिनांक 13.6.2023 को आराजी खसरा नंबर 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 किता 5 वाके ग्राम फूलेला के मौके पर पहुँचे, उक्त खसरा नंबरान का राजस्व नक्शे से मिलान किया गया व आराजी खसरा नंबर 1054, गै.मु.चाह, 957, 958 व 965 के मध्य स्थित तिमेडे व 1006, 986, 970 व 971 के मध्य स्थित चौमेडे को मुस्तकिल बिन्दु मानकर, उक्त खसरा नंबरान का सीमाज्ञान किया गयाउक्त खसरा नंबरान के समस्त कोने व समस्त भुजाएं कायम की गई । उक्त सीमाज्ञान के दौरान पडोसी खातेदार व अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे, व सीमाज्ञान के दौरान शांति व्यवस्था रही ।"

अतः प्रकरण के समग्र अवलोकन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी खातेदार अंकित खाता संख्या नया 27 पुराना 21 के खसरा नंबर 1055 रकबा 0.93 हैक्टयर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नंबर 1057 रकबा 0.06 हैक्टयर, 1058 रकबा 0.56 हैक्टयर, 1059 रकबा 0.59 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा रकबा 2.26 हैक्टयर भूमि ग्राम फूलेला तह.बसवा जिला–दौसा के काश्तकार खातेदार हैं एवं भूमि का दिनांक 13.6.2023 को तहसीलदार बसवा के निर्देशानुसार सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा खाता संख्या नया 27 पुराना 21 के खसरा नंबर 1055 रकबा 0.93 हैक्टयर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नंबर 1057 रकबा 0.06 हैक्टयर, 1058 रकबा 0.56 हैक्टयर, 1059 रकबा 0.59 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा रकबा 2.26 हैक्टयर भूमि ग्राम फूलेला तह.बसवा जिला–दौसा का नियमानुसार पत्थरगढी करवावें एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से

उप जिला कलेक्टर
बसवा (दौसा)

पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला–दौसा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

उप जिला कलेक्टर
बसवा (दौसा)